BUDAUN POLICE

दिनाँक: 14 फरवरी 2024 थाना: मुजरिया

प्रेस नोट थाना मुजरिया दिनाँक 14-02-2024

पुलिस मुठभेड़ में वांछित/ 25000/-रु0 का इनामिया अपराधी हुआ घायल। मौके से 02 अभि0गण को किया गया गिरफ्तार। जिनके कब्जे से 02 अदद तमंचा 315 बोर व 04 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर व 02 अदद खोखा कारतूस एवं लूटी गई ई-रिक्शा की 02 बैटरियों को किया गया बरामद।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ श्री आलोक प्रियदर्शी के निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री राममोहन सिंह के कुशल पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी सहसवान के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक मुजरिया की अगुवाई में थाना मुजरिया पुलिस की कार्यवाही में मुखबिर की सूचना पर आज दिनाँक 14-02-2024 को संदिग्ध वाहन/व्यक्ति चैकिंग के दौरान रात्रि 9.00 बजे थाना मुजरिया क्षेत्रान्तर्गत बिल्सी रोड पर रफी नगर तिराहे पर मु0अ0सं0 33/2024 धारा 302/201/392/411/120बी भादवि के वांछित / इनामिया अभियुक्त गौरव माहेश्वरी पुत्र स्व0 राजेन्द्र निवासी खैरी थाना बिल्सी जनपद बदायूँ को नजदीक आने पर गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया तो अभि0गण द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई व भागने लगे,जिसमें पुलिस टीम द्वारा भी आत्मरक्षार्थ जबावी फायरिंग के दौरान एक बदमाश गौरव माहेश्वरी उपरोक्त घायल हो गया,जिसके पैर में गोली लगी है। जिसको तत्काल गिरफ्तार किया गया। बदमाशों द्वारा की गई फायरिंग में उपनिरीक्षक विजय धामा भी घायल हैं जोकि खतरे से बाहर हैं। तथा दूसरे अभियुक्त करन पुत्र अनिल निवासी मोहल्ला अकबराबाद थाना सहसवान जनपद बदायूँ को भी मौके से घेरकर पकड़ लिया गया। अभियुक्त के कब्जे से 02 अदद तमंचे 315 बोर व 04 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुए तथा 02 खोखा कारतूस तमंचे में फंसे हुए बरामद किए तथा चोरी की 02 बैटरी को बरामद किया गया। मुठभेड़ में घायल उपनिरीक्षक तथा बदमाश को उपचार हेतु सीएचसी सहसवान भिजवाया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

थाना मुजरिया क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सगराय के रहने वाले ई-रिक्शा चालक सत्यवीर उर्फ बन्टू पुत्र स्व0 कुंवरपाल की गुमशुदगी दिनांक 05.02.2024 को वादी श्री ओमकार पुत्र चौखेलाल निवासी ग्राम सगराय थाना मुजरिया जनपद बदायूँ द्वारा दर्ज करायी गयी तो उक्त गुमशुदा की तलाश हेतु थाना मुजरिया पुलिस बल द्वारा समस्त सार्थक प्रयास किये गये । दिनांक 11.02.2024 को वादी श्री ओमकार पुत्र चौखेलाल द्वारा थाना मुजरिया पर एक लिखित तहरीर देकर अवगत कराया गया कि मेरे भतीजे सत्यवीर उर्फ बन्टू का शव विद्युत उपकेन्द्र मुजरिया के सामने सडक पार एक खण्डहर नुमा मकान मे पडा हुआ है जिसकी अज्ञात लोगो ने हत्या कर शव को छिपा दिया है। इस सूचना पर तत्काल मु0अ0सं0 33/2024 धारा 302/201 भा.द.वि. का अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रभारी निरीक्षक मुजरिया श्रीमती रेनू सिंह के सुपुर्द की गयी। उक्त अभियोग के अनावरण हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ग्रामीण के निकट

पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी सहसवान महोदय के नेतृत्व मे प्रभारी निरीक्षक के अधीन एक टीम का गठन किया गया। परिणामस्वरूप आज दिनाँक 14-02-2024 को थाना मुजरिया पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति / वाहन चैकिंग के दौरान रात्रि 9.00 बजे थाना मुजरिया क्षेत्रान्तर्गत बिल्सी रोड पर रफी नगर तिराहे पर थाना मुजरिया पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 33/2024 धारा 302/201/392/411/120बी भादवि के वांछित 25000/- रु0 के इनामिया अभियुक्त गौरव माहेश्वरी पुत्र स्व0 राजेन्द्र निवासी खैरी थाना बिल्सी जनपद बदायूँ तथा दूसरा अभियुक्त करन पुत्र अनिल निवासी मोहल्ला अकबराबाद थाना सहसवान जनपद बदायूँ को मौके से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 02 अदद तमंचे 315 बोर व 04 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुए तथा 02 खोखा तमंचे में फंसे हुए बरामद किए तथा चोरी की 02 बैटरी को बरामद किया गया।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्त गौरव माहेश्वरी पुत्र स्व0 राजेन्द्र निवासी खैरी थाना बिल्सी जनपद बदायूँ से गहनता से पूछताछ की गयी तो बताया कि दिनाँक 04-02-2024 को मै अपने साथी इकबाल उर्फ इकबालुद्दीन पुत्र शमीउद्दीन निवासी रुस्तम टोला थाना सहसवान जनपद बदायूँ के साथ लूट की योजना बनाकर सत्यवीर उर्फ बन्टू पुत्र स्व0 कुवरपाल निवासी सगराय थाना मुजरिया को मय टिर्री के काम के बहाने निर्माणधीन मकान पर ले गए थे। जहाँ उसकी गले में रस्सी का फंदा बनाकर हत्या कर दी गई थी। मेरा साथी इकबाल उपरोक्त पहले गिरफ्तार हो चुका है। मैं आज लूटी गई 02 बैटरी अपने साथी करन पुत्र अल निवासी मोहल्ला अकबराबाद थाना सहसवान बदायूँ के साथ बेचने जा रहा था तभी आप लोगों ने हमे पकड़ने का प्रयास किया गया तो हमने गिरफ्तारी से बचने के लिए फायर कर दिया तथा भागने लगे। पुलिस द्वारा भी जबावी फायरिंग की गई। जिसमें मेरी पैर में गोली लगी गई। तथा हमारे गोली से एक पुलिस वाले भी घायल हो गए।

अपराध का तरिका

लूट के ईरादे से मृतक को टिर्री से बुक कराकर निर्माणधीन मकान में ले जाकर गले में फंदा लगाकर हत्या कर देना।

बरामदगी का विवरण

- लूटी गई ई-रिक्शा की 02 बैटरिया
- 02 अदद तमंचा 315 बोर, 02 खोखा कारतूस 315 बोर ,04 जिंदा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली थाना पुलिस टीम

1- प्रभारी निरीक्षक मुजरिया रेनू देवी
2- उ0नि0 हरिमोहन सिंह थाना मुजरिया
3- उ0नि0 कृपाल सिंह थाना मुजरिया
4- उ0नि0 विजय धामा थाना मुजरिया
5- हेका0 पवन थाना मुजरिया
6- का0 गोविन्द थाना मुजरिया
7- का0 सावन थाना मुजरिया

सोशल मीडिया सेल,
जनपद बदायूँ।